

किशनलाल बनाम स्टेट
प्रकरण संख्या 490/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल में
जारी हुये

21.08.
2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। स्टेट जबाब प्राप्त हुआ। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि का सही नाम किशनलाल पुत्र भगवानाराम है। अतः वाद वादी डिक्री करते हुए रोही मौजा बिसरासर के खाता सं. 697/460 के ख.नं. 255 की 7.588 है., 268 की 2.782 है. कुल 10.370 है. में से 1/7 हिस्सा व रोही मौजा स्वरूपदेसर के खाता सं. 104/71 के ख.नं. 145 की 3.175 है., 30 की 9.032 है., 35 की 3.593 है. कुल 15.800 है. में से 1/7 हिस्सा भूमि में दर्ज वादी का नाम कृष्णकुमार पुत्र भगवानाराम के स्थान पर किशन लाल पुत्र भगवानाराम दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21.08.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक क्लर्क
उपरखण्ड अधिकारी
खयतसर

